

INDIAN PARLIAMENTARY SYSTEM

भारतीय संसदीय
प्रणाली



INDIAN PARLIAMENTARY SYSTEM

- The Parliament of India, also known as the Sansad, is the supreme legislative body of the country. / भारत की संसद, जिसे संसद भी कहा जाता है, देश का सर्वोच्च विधायी निकाय है।
- Articles 79 to 122 in Part V of the Indian Constitution deal with the provisions related to the Parliament of India. / भारतीय संविधान के भाग V के अनुच्छेद 79 से 122 भारत की संसद से संबंधित प्रावधानों से संबंधित हैं।
- Adoption of "Parliamentary form of government" gives a pivotal position to parliament in the Indian democratic system. / "संसदीय शासन प्रणाली" को अपनाने से भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद को एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होता है।



Parliament

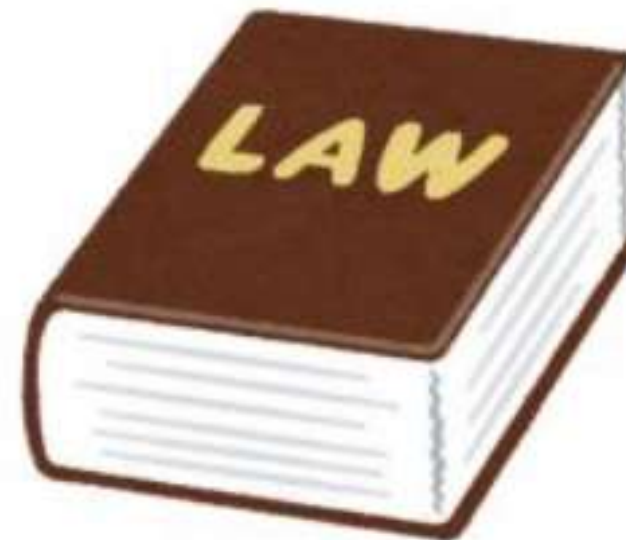
President

Integral part of the Parliament (though not a member of either House of Parliament). / संसद का अभिन्न अंग (हालांकि संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं)।

- Bill passed by both houses cannot become law without the President's assent / दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कानून नहीं बन सकता।
- Summons & prorogue both the Houses / दोनों सदनों का आह्वान और सत्रावसान।
- Dissolves the Lok Sabha / लोकसभा भंग।
- Addresses both the Houses, / दोनों सदनों को संबोधित।
- Issues ordinances / अध्यादेश जारी।

Rajya Sabha

- Also called the upper House (Second Chamber or house of elders or council of states) / इसे उच्च सदन (द्वितीय सदन या वरिष्ठों का सदन या राज्यों की परिषद) भी कहा जाता है।
- Represent state's Interest in parliament. / संसद में राज्य के हितों का प्रतिनिधित्व करता है।



123

Lok Sabha

- Also called as Lower House (First Chamber or LOK SABHA) / इसे निम्न सदन (प्रथम सदन या लोकसभा भी कहा जाता है।
- Represents people's will / यह जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है।

Legislative roles/ विधायी भूमिकाएँ

Executive roles/ कार्यकारी भूमिकाएँ

Financial roles/ वित्तीय भूमिकाएँ

Constitutional roles/ संवैधानिक भूमिकाएँ

Electoral roles/ निर्वाचक नामावली

FUNCTIONS OF PARLIAMENT

संसद के कार्य



COMPOSITION OF TWO HOUSES

Lok Sabha लोकसभा



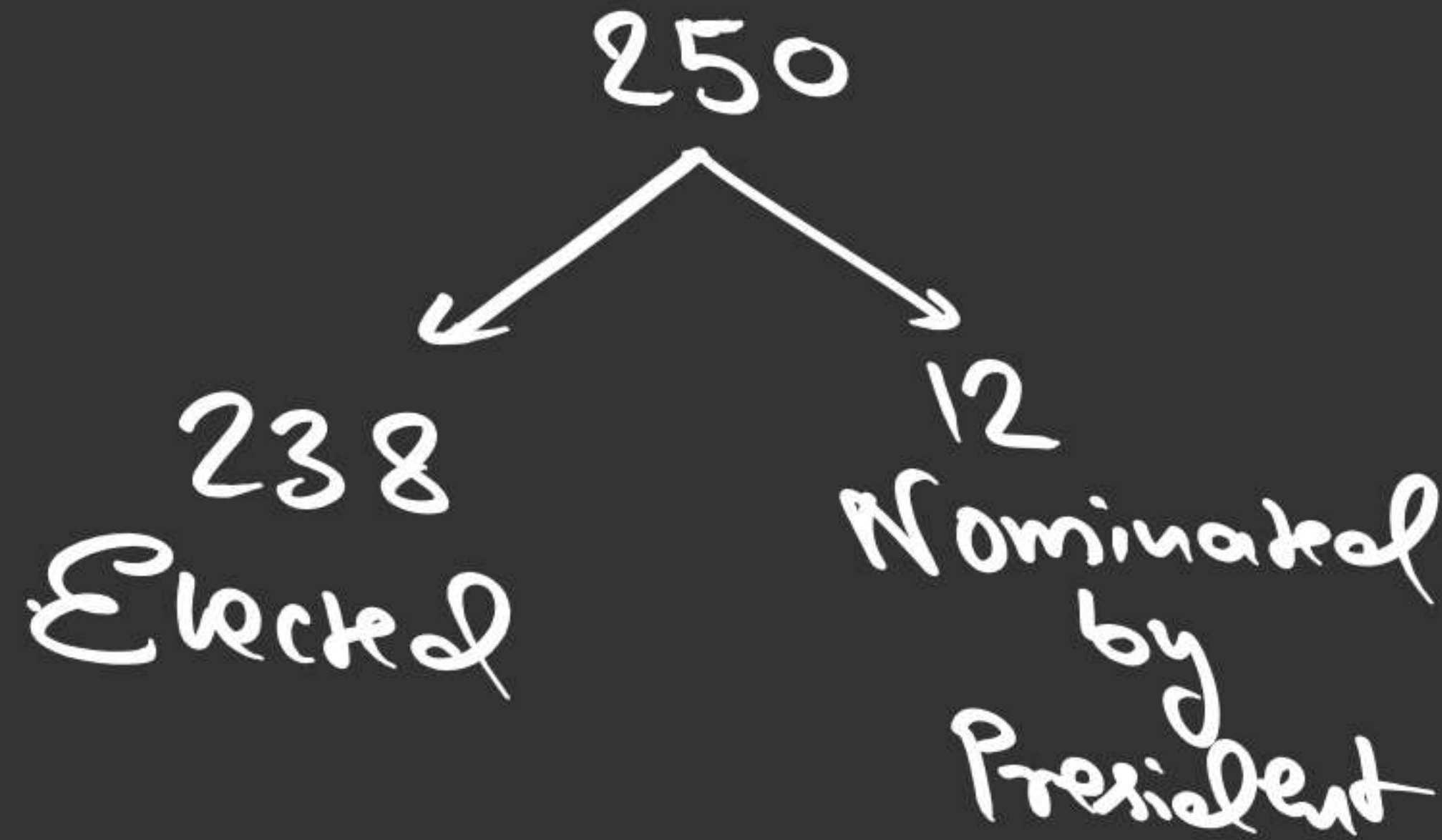
550
Maximum
members

530 members directly elected from territorial constituency in the state / राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से सीधे चुने गए 530 सदस्य

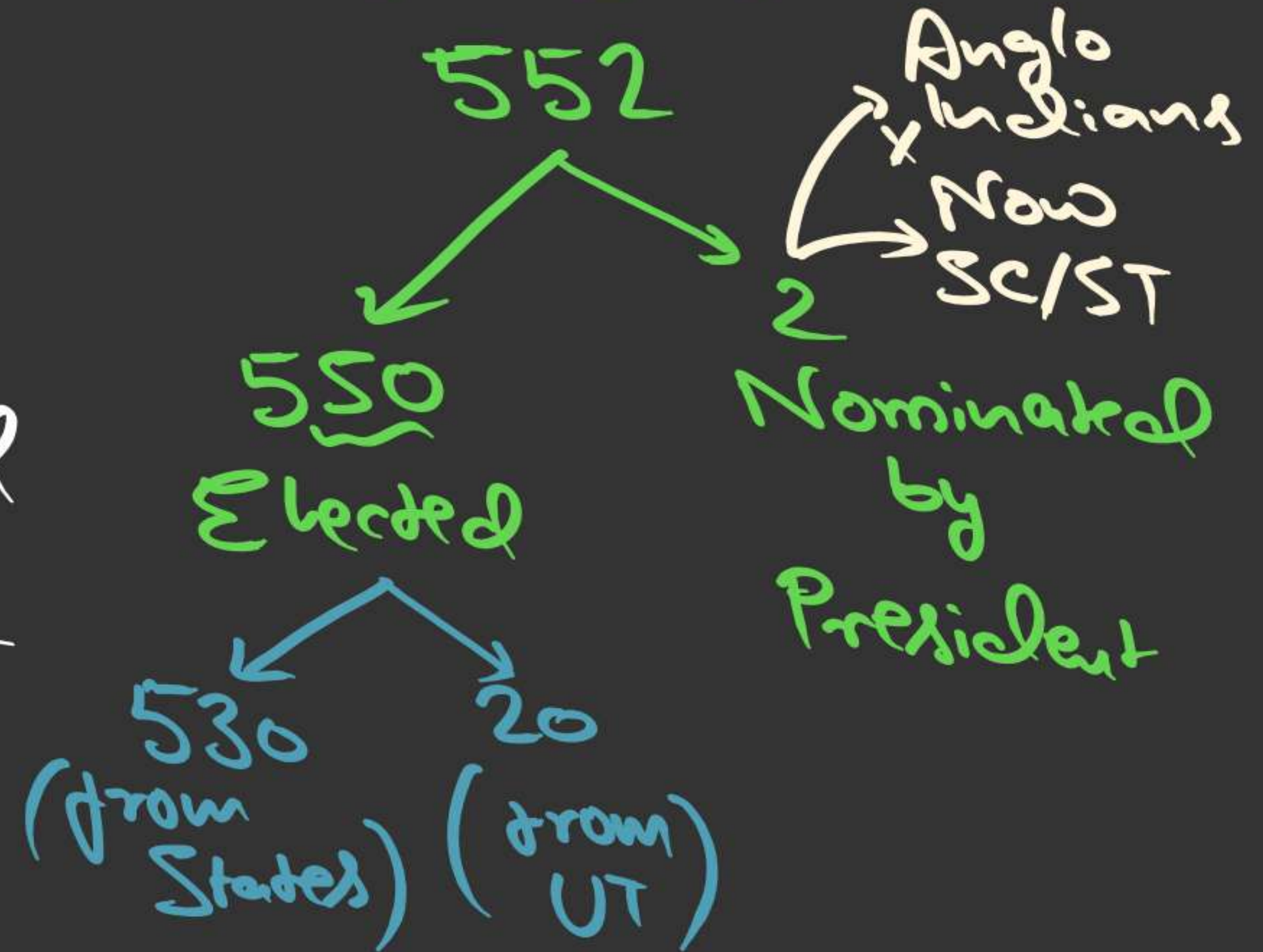
20 members directly elected under the Union Territories (direct election to the house of people act 1965)/संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित 20 सदस्य (लोक सभा के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन अधिनियम 1965)

Note: 104th CA Act does not extend the provision of nominating Anglo Indians to Lok Sabha and legislative bodies
नोट: 104वां सीए अधिनियम एंग्लो इंडियन को लोकसभा और विधायी निकायों में नामित करने के प्रावधान का विस्तार नहीं करता है।

lead by Vice President
Rajyasabha (Chairman)



lead by Speaker
Lok Sabha



COMPOSITION OF TWO HOUSES

Rajya Sabha राज्यसभा



250
Maximum
members

238 members Elected by the elected members of state legislative assemblies by proportional representation by single transferable vote / 238 सदस्य राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित

12 members Nominated by president from people who have special knowledge or practical experience in art, literature, science and social service. / 12 सदस्य - राष्ट्रपति द्वारा नामित ऐसे लोग जिनके पास कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवा में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो।

ARTICLES RELATED TO PARLIAMENT

General Articles

- A-79. Constitution of Parliament ✓
- A-80. Composition of the Council of States ✓
- A-81. Composition of the House of the People ✓
- A-82. Readjustment after each census ✓
- A-83. Duration of Houses of Parliament ✓
- A-84. Qualification for membership of Parliament ✓
- A-85. Sessions of Parliament, prorogation and dissolution ✓
- A-86. Right of President to address and send messages to Houses ✓
- A-87. Special address by the President ✓
- A-88. Rights of Ministers and Attorney General as respects Houses ✓

Officers of Parliament

- A-89. The Chairman and Deputy Chairman of the Council of States ✓
- A-90. Vacation and resignation of, and removal from, the office of Deputy Chairman ✓
- A-91. Power of the Deputy Chairman or other person to perform the duties of the office of, or to act as, Chairman ✓
- A-92. The Chairman or the Deputy Chairman not to preside while a resolution for his removal from office is under consideration ✓
- A-93. The Speaker and Deputy Speaker of the House of the People ✓
- A-94. Vacation and resignation of, and removal from, the offices of Speaker and Deputy Speaker ✓

Officers of Parliament

- A-95. Power of the Deputy Speaker or other person to perform the duties of the office of, or to act as, Speaker ✓
- A-96. The Speaker or the Deputy Speaker not to preside while a resolution for his removal from office is under consideration ✓
- A-97. Salaries and allowances of the Chairman and Deputy Chairman and the Speaker and Deputy Speaker ✓
- A-98. Secretariat of Parliament ✓

संसद से संबंधित लेख

सामान्य लेख

- A-79. संसद का गठन
- A-80. राज्य सभा की संरचना
- A-81. लोक सभा की संरचना
- A-82. प्रत्येक जनगणना के बाद पुनर्समायोजन
- A-83. संसद के सदनों की अवधि
- A-84. संसद की सदस्यता के लिए योग्यता
- A-85. संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन
- A-86. सदनों को संबोधित करने और संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार
- A-87. राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण
- A-88. सदनों के संबंध में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार

संसद के अधिकारी

- A-89. राज्य सभा के सभापति और उपसभापति
- A-90. उपसभापति का पद रिक्त होना, त्यागपत्र देना और पद से हटाया जाना
- A-91. उपसभापति या अन्य व्यक्ति की सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की शक्ति
- A-92. सभापति या उपसभापति द्वारा पद से हटाए जाने के प्रस्ताव पर विचाराधीन होने पर अध्यक्षता न करना
- A-93. लोक सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
- A-94. सभापति और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, त्यागपत्र देना और पद से हटाया जाना

संसद के अधिकारी

- A-95. उपसभापति या अन्य व्यक्ति की अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति
- A-96. अध्यक्ष या उपसभापति द्वारा अपने पद से हटाने के प्रस्ताव पर विचाराधीन होने पर अध्यक्षता न करना
- A-97. सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपसभापति के वेतन और भत्ते
- A-98. संसद सचिवालय

LOK SABHA

- It is also known as the 'House of people' or 'lower house'. / इसे 'जनता का सदन' या 'निचला सदन' भी कहा जाता है।
- It was constituted on 17th April 1952. / इसका गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ था।
- Hindi name adopted in the year 1954. / हिंदी नाम 1954 में अपनाया गया।
- First sitting of Lok Sabha was held on 13 May 1952. / लोकसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी।
- Members of the Lok Sabha elected directly. / लोकसभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। ✓
- The Lok Sabha is the Lower House (First Chamber/Popular House), Represents the People of India as a whole / लोकसभा निचला सदन (प्रथम सदन/लोकप्रिय सदन) है, जो समग्र रूप से भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करता है।



Composition of Lok Sabha/ लोकसभा की संरचना

- **Maximum strength of the Lok Sabha is fixed at 552.** / लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 निर्धारित है।
- **Representatives of the States and UTs (elected directly)** / राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि (प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित)
- **Members nominated by the President :- 2 from Anglo-Indian community.** (Now this provision has been deleted by 104th Amendment of the Indian Constitution) / राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य: 2 एंग्लो-इंडियन समुदाय से। (अब यह प्रावधान भारतीय संविधान के 104वें संशोधन द्वारा हटा दिया गया है)
- **Representatives of the States – 530** / राज्यों के प्रतिनिधि - 530
- **Representatives of the Union Territories –20** / केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि – 20

Representation of States in the Lok Sabha लोकसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व

- The representatives of states in the Lok Sabha are directly elected by the people from the territorial constituencies in the states.
- लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधियों का चुनाव राज्यों के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से जनता द्वारा सीधे किया जाता है।
- Eligible age for every Indian citizen to vote is 18 year.
- प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए मतदान की पात्र आयु 18 वर्ष है।

Representation of Union Territories in the Lok Sabha लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व

- The election is based on the principle of universal adult franchise.
- यह चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत पर आधारित है।
- Parliament enacted UTs (Direct Election to the House of the People) Act, 1965, by which the members of Lok Sabha from the UTs are also chosen by direct election
- संसद ने संघ शासित प्रदेशों (लोकसभा के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन) अधिनियम, 1965 पारित किया, जिसके तहत संघ शासित प्रदेशों से लोकसभा के सदस्यों का चुनाव भी प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाता है।



§50 20

§30

प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा सीटों का पुनः समायोजन

Article 82

- **After every census, a readjustment is to be made in:/** प्रत्येक जनगणना के बाद, निम्नलिखित में पुनः समायोजन किया जाएगा:
- **Allocation of seats in the Lok Sabha to the states/** राज्यों को लोकसभा में सीटों का आवंटन
- **Division of each state into territorial constituencies./** प्रत्येक राज्य का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन।
- **Accordingly, the Parliament has enacted the Delimitation Commission Acts in 1952, 1962, 1972 and 2002 for this purpose. (four times till date)/** तदनुसार, संसद ने इस उद्देश्य के लिए 1952, 1962, 1972 और 2002 में परिसीमन आयोग अधिनियम पारित किए हैं। (आज तक चार बार)



प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा सीटों का पुनः समायोजन

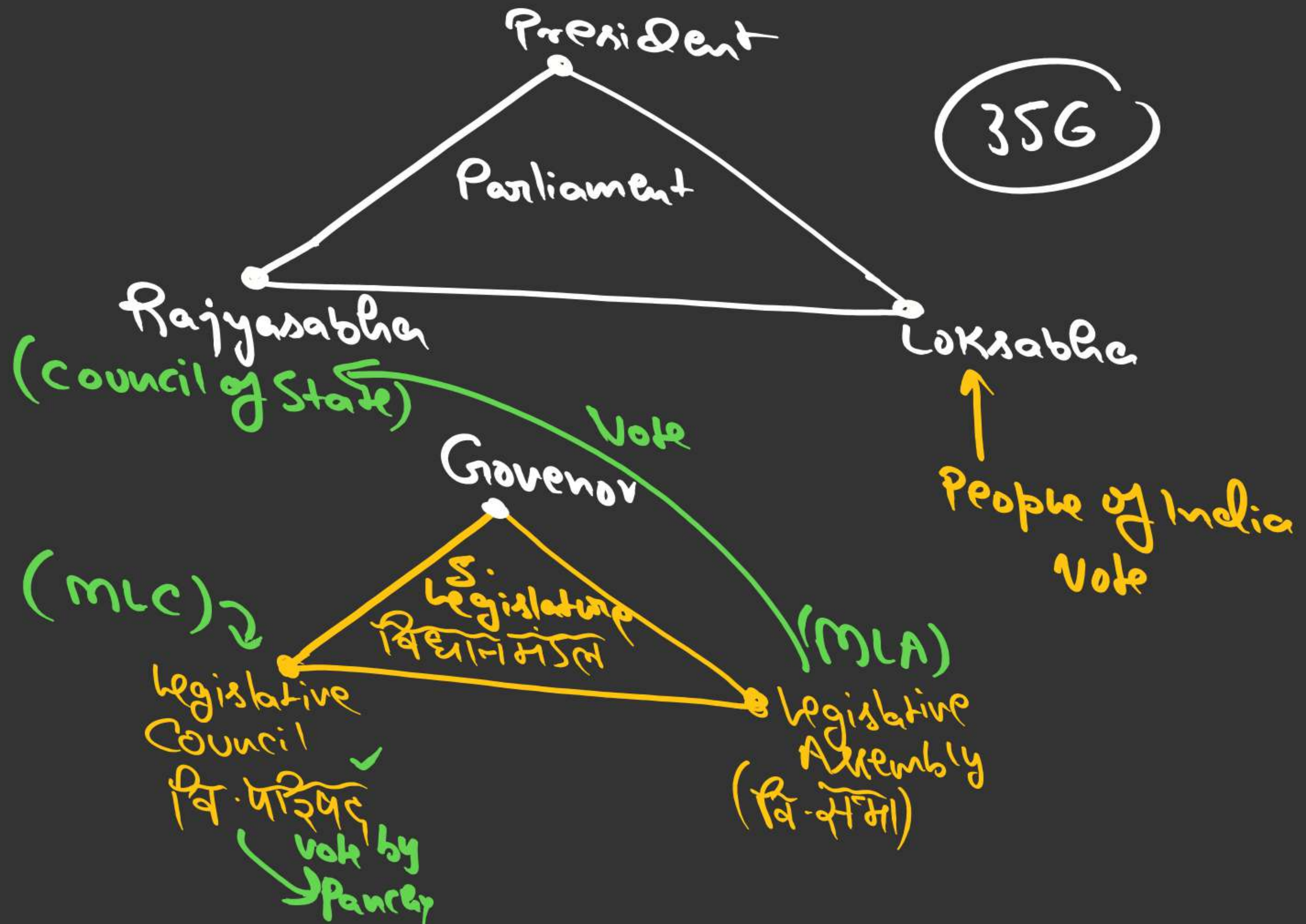
- **The 42nd Constitutional Amendment Act , 1976: seats were fixed based on 1971 Census until 2000. / 42वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1976: 2000 तक 1971 की जनगणना के आधार पर सीटें निर्धारित की गईं।**
- **The 84th CAA 2001 banned readjustment of seats that was extended for another 25 years (up to year 2026) / 84वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2001 ने सीटों के पुनर्समायोजन पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसे अगले 25 वर्षों (वर्ष 2026 तक) के लिए बढ़ा दिया गया।**
- **The 87th Constitution Amendment Act, 2003 Provided for the delimitation of constituencies on the basis of 2001 census and not 1991 census/ 87वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 ने 1991 की जनगणना के बजाय 2001 की जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का प्रावधान किया।**



RAJYA SABHA

- It is also known as the 'House of Elders' or 'Council of States'./ इसे 'वृद्धों का सदन' या 'राज्य परिषद' के नाम से भी जाना जाता है।
- Hindi name was adopted in 1954./ हिंदी नाम 1954 में अपनाया गया था।
- It was constituted on 3rd April 1952./ इसका गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था।
- First sitting was held on 13 May 1952./ पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी।





Only 6 States where
Legislative Council
Exist ✓

① - U.P.

② - Bihar

③ - Maharashtra ✓

④ - Andhra Pradesh ✓

⑤ - Telangana

⑥ - Karnataka

Composition of Rajya Sabha/ राज्यसभा की संरचना

- Maximum strength of the Rajya Sabha is fixed at 250 (238 Members elected indirectly and 12 nominated by the President/ राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 निर्धारित है (238 सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत)।



Present Rajya Sabha-/ वर्तमान राज्यसभा -

- Total member strength / कुल सदस्य संख्या - 245
- Representatives of the States / राज्यों के प्रतिनिधि - 229
- Representatives of the Union Territories/ केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि - 4
- Members nominated by the president / राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य - 12

Representation of States in the Rajya Sabha राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व

- Representatives of states in the Rajya Sabha are elected by the elected members of state legislative assemblies.
/ राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधियों का चुनाव राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। ✓
- Method of Election: System of proportional representation by means of the single transferable vote. / निर्वाचन प्रणाली: एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ✓
- The seats are allotted to the states in the Rajya Sabha on the basis of population. / राज्यसभा में राज्यों को जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित की जाती हैं।



Representation of Union Territories in the Rajya Sabha राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व

- The representatives of each UTs in the Rajya Sabha are indirectly elected by members of an electoral college specially constituted for the purpose. / राज्यसभा में प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधियों का चुनाव इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से गठित एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है।
- Method of Election: Through a System of proportional representation by means of the single transferable vote. / निर्वाचन प्रणाली: एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से।

Nominated members in the Rajya Sabha/ राज्यसभा में मनोनीत सदस्य

12 members nominated by President to the Rajya Sabha from people who have special knowledge or practical experience in / राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत 12 सदस्य, ऐसे व्यक्तियों में से जिन्हें :

- Art/ कला
- Literature / साहित्य
- science and / विज्ञान और
- social service / समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो।

- 104th Constitutional Amendment Act 2019 (126th CA Bill)/ 104वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 2019 (126वाँ संविधान संशोधन विधेयक)
- Objectives of the amendments are two fold:
संशोधनों के दो उद्देश्य हैं:
- To extend reservation for SC and ST(Art. 330 and 332) to Lok Sabha and legislative bodies. / अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अनुच्छेद 330 और 332) के लिए आरक्षण को लोकसभा और विधायी निकायों तक विस्तारित करना।
- Discontinuing the provision of nominating Anglo Indians(Art. 331) to Lok Sabha and legislative bodies./ एंग्लो इंडियन (अनुच्छेद 331) को लोकसभा और विधायी निकायों में नामांकित करने के प्रावधान को समाप्त करना।



Comparing Proportional Representation and First Past the Post System

PROPORTIONAL REPRESENTATION	FIRST PAST THE POST SYSTEM
• Large geographical areas are demarcated as constituencies. The entire country may be a single constituency (such as Israel or the Netherlands).	• The country is divided into small geographical units called constituencies or districts.
• More than one representative may be elected from one constituency.	• Every constituency elects one representative only.
• Voters vote for the party instead of for a candidate.	• Voters vote for a candidate and not for a party.
• Every party gets seats in the legislature in proportion to the percentage of votes that it gets.	• A party may get more seats than votes in the legislature.
• Candidate who wins the elections gets a majority of votes.	• Candidate who wins the election may not get majority (50% + 1) votes.
• Examples: Israel, Netherlands	• Examples: U.K., India



आनुपातिक प्रतिनिधित्व और प्रथम-पास्ट-द-पोस्ट प्रणाली की तुलना

आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली	प्रथम-पास्ट-द-पोस्ट प्रणाली
बड़े भौगोलिक क्षेत्रों को निर्वाचन क्षेत्रों के रूप में विभाजित किया जाता है। पूरा देश एक ही निर्वाचन क्षेत्र भी हो सकता है (जैसे इज़राइल, नीदरलैंड)।	देश को छोटे-छोटे भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा जाता है जिन्हें निर्वाचन क्षेत्र या जिला कहा जाता है।
एक निर्वाचन क्षेत्र से एक से अधिक प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं।	प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक प्रतिनिधि चुना जाता है।
मतदाता उम्मीदवार के बजाय राजनीतिक पार्टी को वोट देते हैं।	मतदाता पार्टी के बजाय उम्मीदवार को वोट देते हैं।
प्रत्येक पार्टी को प्राप्त मत प्रतिशत के अनुपात में विधानमंडल में सीटें मिलती हैं।	किसी पार्टी को प्राप्त मतों से अधिक सीटें भी मिल सकती हैं।
चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार को बहुमत (50% + 1) वोट मिलते हैं।	चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार को बहुमत (50% + 1) वोट मिलना आवश्यक नहीं होता।
उदाहरण: इज़राइल, नीदरलैंड	उदाहरण: ब्रिटेन, भारत



अनुच्छेद 83: सदन की अवधि

LOK SABHA

- Non-continuing chamber as it dissolves every five years./ यह निरंतर चलने वाला सदन नहीं है, हर पाँच वर्ष में भंग हो जाता है।
- Term of 5 years. / इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ✓
- President dissolves Lok Sabha and this cannot be challenged in a court of law./ लोकसभा को राष्ट्रपति भंग करते हैं और इस प्रक्रिया को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती।
- Term of the Lok Sabha can be extended during National Emergency for 1 year at a time for any length of time. / राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
- Extension cannot continue beyond a period of 6 months after the emergency has ceased to operate./ आपातकाल समाप्त होने के 6 महीने बाद तक ही इसका विस्तार जारी रह सकता है।

RAJYA SABHA

- Continuing chamber as 1/3rd members retire every second year (eligible for re-election and renomination)./ यह स्थायी सदन है, इसके 1/3 सदस्य हर दो वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं (पुनर्निर्वाचन और पुनर्नियुक्ति के योग्य)।
- Permanent body and not subject to dissolution. / राज्यसभा भंग नहीं की जा सकती, यह एक स्थायी सदन है।
- Representation of the People Act (RPA) 1951 provides the term of a member to be 6 years./ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है।

Article 84

Membership of Parliament

According to Constitution

Qualifications

- Citizen of India. / **भारत का नागरिक।**
- Make and subscribe to an oath or affirmation before the person authorized by the election commission for this purpose. / **इस प्रयोजन के लिए चुनाव आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष शपथ लें या प्रतिज्ञान करें।**
- Rajya Sabha: Not less than 30 years of age.
राज्य सभा: कम से कम 30 वर्ष की आयु।
- Lok Sabha: Not less than 25 years of age.
लोक सभा: कम से कम 25 वर्ष की आयु।
- Possess other qualifications prescribed by Parliament. / **संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएँ रखें।**

Disqualification अयोग्यताएँ

- Holds any office of profit under Union or state. / **संघ या राज्य के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता हो।**
- Undischarged insolvent. / **अनुन्मुक्त दिवालिया।**
- Not a citizen of India or voluntarily acquired the citizenship of a foreign state or is under any acknowledgement of allegiance to a foreign state. / **भारत का नागरिक न हो या स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त न की हो या किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा की स्वीकृति न रखता हो।**
- Disqualified under any law made by Parliament. / **संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत अयोग्य।**

Membership of Parliament

According to RP Act 1951

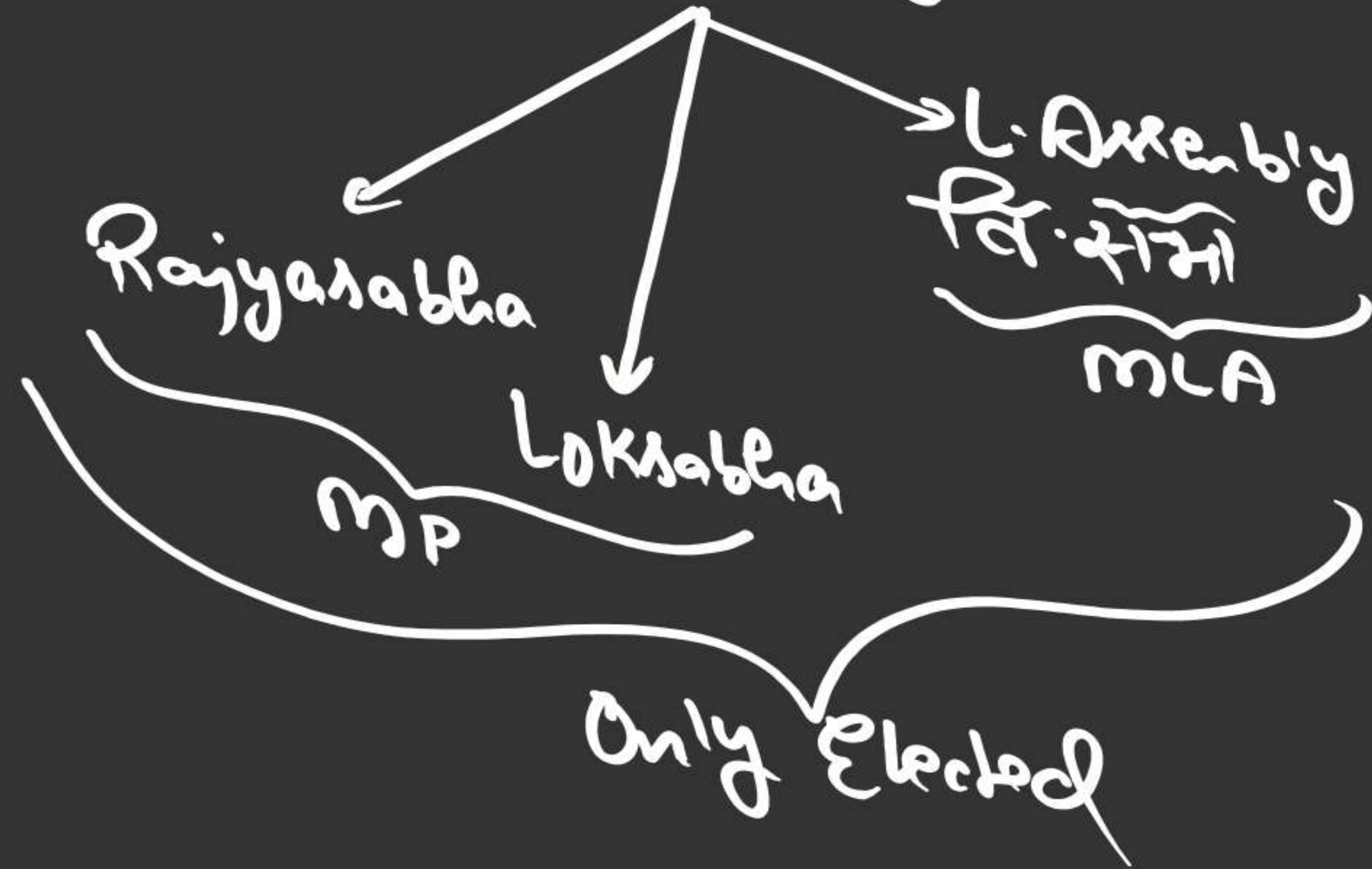
QUALIFICATIONS / योग्यताएं

- Registered as an elector for a parliamentary constituency. / किसी संसदीय क्षेत्र के लिए मतदाता के रूप में पंजीकृत।
- For Rajya Sabha, member can be an elector from any state. / राज्यसभा के लिए, सदस्य किसी भी राज्य का मतदाता हो सकता है।
- Member of a SC or ST in any state or UT, if he wants to contest a seat reserved for them. / किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य, यदि वह अपने लिए आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ना चाहता है।
- SC or ST can also contest a seat not reserved for them. / अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति अपने लिए आरक्षित न होने वाली सीट पर भी चुनाव लड़ सकते हैं।

DISQUALIFICATIONS / अयोग्यताएं

- Found guilty of certain election offences. / कुछ चुनावी अपराधों में दोषी पाया गया।
- Convicted for any offence resulting in imprisonment for 2 or more years. (Not valid for preventive detention law). / किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी पाया गया जिसके परिणामस्वरूप 2 या अधिक वर्षों का कारावास हो सकता है। (निवारक निरोध कानून के लिए मान्य नहीं)।
- Failed to lodge an account of his election expenses. / अपने चुनाव व्यय का लेखा-जोखा प्रस्तुत करने में विफल रहा।
- Any interest in government contracts, works or services. / सरकारी अनुबंधों, कार्यों या सेवाओं में कोई रुचि नहीं।
- Be a director or managing agent nor hold an office of profit in a corporation in which the government has at least 25% share. / किसी ऐसे निगम में निदेशक या प्रबंध प्रतिनिधि न हो जिसमें सरकार की कम से कम 25% हिस्सेदारी हो।
- Dismissed from government service for corruption or disloyalty to the State. / भ्रष्टाचार या राज्य के प्रति निष्ठाहीनता के कारण सरकारी सेवा से बर्खास्त किया गया।
- Convicted for promoting enmity between different groups or for the offence of bribery. / विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने या रिश्तखोरी के अपराध के लिए दोषी पाया गया।
- Punished for preaching and practising social crimes such as untouchability, dowry and sati. / अस्पृश्यता, दहेज और सती जैसे सामाजिक अपराधों का प्रचार और अभ्यास करने के लिए दंडित किया गया।

President
Who Vote?



Vice President
Who Vote?

